

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2026/188018/ALG/ALIGARH/3440/CFO

दिनांक: 11-02-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **PAVNA SCHOOL ALIGARH FORMERLY KNOWN AS DELHI PUBLIC SCHOOL** (भवन/ प्रतिष्ठान का नाम) पता **NEAR GYAN MAHAVIDYALAYA, PADIAVALI AGRA ROAD, AGRA ALIGARH ROAD, ALIGARH** तहसील - **KOIL** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
PAVNA SCHOOL ALIGARH FORMERLY KNOWN AS DELHI PUBLIC SCHOOL	3	1	11.13 mt.

तथा प्लॉट एरिया **12954.00 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **PAVNA SCHOOL ALIGARH FORMERLY KNOWN AS DELHI PUBLIC SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **14-02-2026** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **BRIJ MOHAN** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **14-02-2026** से **13-02-2031** तक **5** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन मं. स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : Fsoबन्नादेवी द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण/संस्तुति पर व पूर्व निर्गत noc1842/cfo9.6.23को निरस्त करते हुये केअनुक्रम मे का renewal,अपलोड मानचित्र मे इंगित स्कूल लिए निम्न उपबंधो केअधीन कि up F&E act2022 व upF&E Rules 2024का अनुपालन करना होगा व अहर्भिकर्ता से वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण-पत्र विभाग को प्रेषित करें। 2- विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 3भवन के स्वरूप की वैधता व 1सीडी लोअर फ्लोर मे6माह मे बनाने व शर्तो का उल्लंघन करने/समय से नवीनीकरण न कराने/ अग्निशमन उपकरणो को अकार्यशील रखने/न्यायिक विवाद/अधिभोग व भवन सरंचना व स्वामित्व परिवर्तन मे उक्त noc को स्वतः निरस्त माना जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(Mukesh Kumar)

निर्गत किये जाने का दिनांक : 14-02-2026
स्थान : ALIGARH

[85DF6BE0BEC05EC150FCC5B7FD591D0AD712110A]

14-02-2026